राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(110) RD / NREGA / CLF / 2016/Eo-114224 जयपुर, दिनांकः 8 AUG 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– राजीविका के 134 ब्लॉक्स में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर महिला मेट के रूप में नियोजित किये जाने बाबत्।

प्रसंग– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2011–12 दिनांक 19.08.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों (प्रतियाँ संलग्न) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों के नियोजन तथा सीएफटी ब्लॉक के कार्यों पर महिला मेट नियोजन बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में **राजीविका के 134 ब्लॉक्स (सूची संलग्न) के ऐसे राजस्व गांव जहाँ राजीविका द्वारा बनाये गये महिला स्वयं सहायता समूह उपलब्ध है, से जुड़ी महिलाओं को महिला मेट नियोजित किये जाने हेतु** निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. महिला मेटों की निर्धारित योग्यता (विभागीय प्रासंगिक परिपत्र अनुसार) को ध्यान में रखते हुए राजीविका के 134 ब्लॉक्स में उपलब्ध महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का पैनल बनाया जाकर, सघन प्रशिक्षण दिया जावे।
2. प्रत्येक राजस्व गांव में उक्त महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से कम से कम 2 महिलाओं का पैनल बनाया जावे।
3. इन महिलाओं को पंचायत समिति स्तर पर मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जावे तथा इनकी क्षमतावर्द्धन हेतु प्रत्येक तिमाही भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावे–
   - 3.1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्य।
   - 3.2 मेट के दायित्व।
   - 3.3 श्रमिकों की उपस्थिति लगाने का तरीका।
   - 3.4 अकुशल श्रमिकों का टास्क, लीड एवं लिफ्ट सहित।
   - 3.5 प्रति दिन कार्यस्थल पर समूहवार काम का वितरण (Daily Task Assignment in groups)
   - 3.6 समूह द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की माप इन्च/फुट में करना (प्रायोगिक प्रशिक्षण)।
   - 3.7 मस्टररोल के विभिन्न भागों की पूर्ति करना।
   - 3.8 कार्यों के विभिन्न मदों के सामान्य तकनीकी मानकों (Specifications) की जानकारी।
   - 3.9 कार्यस्थल सुविधाओं (Work site facilities) की जानकारी।
   - 3.10 मजदूरी भुगतान का तरीका एवं प्रतिदिन मजदूरी दर की गणना करना।

4. यदि किसी राजस्व ग्राम में 2 से अधिक मेटों की आवश्यकता है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर पैनल बनाये जाने से पूर्व इसकी आवश्यकता का निर्धारण करवायेंगे एवं तदनुसार ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं में से पैनल बनाया जावेगा।

5. **उपरोक्तानुसार पैनल बनाकर प्रशिक्षण की कार्यवाही आगामी दो माह में पूर्ण कर ली जावे। इसके उपरान्त इन 134 ब्लॉक्स में राजीविका के उपलब्ध स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिला मेटों को ही कार्यों पर नियोजित किया जावे।**

6. कार्यों पर लगाये जा रहे महिला मेटों के लिए पखवाड़े वार रोटेशन पर लगाये जाने की बाध्यता नहीं रखी जावे। यदि ग्राम में उपलब्ध महिला मेटों में से राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की केवल एक ही मेट उपलब्ध है, तो उसे निरन्तर काम पर रखा जावे एवं हटाया नहीं जावे। यदि राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की दो मेट उपलब्ध है, तो उन्हें आपस में रोटेशन के आधार पर नियोजित किया जावे।

7. उक्तानुसार महिला मेटों का नियोजन कर, किये जा रहे टास्क इत्यादि की समीक्षा की जाकर, फीडबैक विभाग को दिया जावे।

Dir — The Panel of women mates will be prepared by DPM, RAJEEVIKA and training may be planned & imparted in coordination with DPM, Rajeevika.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (EO & P & DPM, Rajeevika to coordinate.)

भवदीय

2/8/17

(रोहित कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पराविं।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पराविं।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डाईरेक्टर, राजीविका, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
5. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास एवं कार्यकारी निदेशक, अरावली जयपुर।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. मुख्य परिचालन अधिकारी, राजीविका, जयपुर।
8. श्री रिंकू, एमआईएस मैनेजर, मुख्यालय को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजीविका की पंचायत समितियों की सूची–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति
1.	अजमेर	केकड़ी
2.	अजमेर	पीसांगन
3.	अजमेर	किशनगढ़
4.	अलवर	राजगढ़
5.	अलवर	रामगढ़
6.	बांसवाड़ा	घाटोल
7.	बांसवाड़ा	गढ़ी
8.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
9.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी
10.	बांसवाड़ा	बागीदौरा
11.	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़
12.	बांसवाड़ा	छोटी सरवन
13.	बांसवाड़ा	अर्थूना
14.	बांसवाड़ा	गंगर तलाई
15.	बारां	अन्ता
16.	बारां	बारां
17.	बारां	किशनगंज
18.	बारां	शाहबाद
19.	बारां	छबड़ा
20.	बारां	छीपाबड़ौद
21.	बाड़मेर	बायतू
22.	बाड़मेर	गिरा
23.	भरतपुर	रूपवास
24.	भरतपुर	कुम्हेर
25.	भरतपुर	वैर
26.	भीलवाड़ा	आसीन्द
27.	भीलवाड़ा	शाहपुरा
28.	भीलवाड़ा	रायपुर
29.	भीलवाड़ा	सहारा
30.	भीलवाड़ा	जहाजपुर
31.	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़
32.	बीकानेर	बीकानेर
33.	बीकानेर	डूंगरगढ़
34.	बीकानेर	कोलायत
35.	बीकानेर	नोखा
36.	बीकानेर	खाजूवाला
37.	बीकानेर	पाँचू
38.	बूंदी	हिण्डोली
39.	बूंदी	नैनवा
40.	बूंदी	केशोरायपाटन
41.	बूंदी	तालेड़ा
42.	चित्तौड़गढ़	बेंगूं
43.	चित्तौड़गढ़	भैंसरोड़गढ़
44.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
45.	चित्तौड़गढ़	बड़ीसादड़ी
46.	चित्तौड़गढ़	भूपालसागर
47.	चुरू	तारानगर

48.	चुरू	सरदारशहर
49.	चुरू	चुरू
50.	चुरू	रतनगढ़
51.	दौसा	सिकराय
52.	दौसा	दौसा
53.	दौसा	लालसोट
54.	दौसा	लवाण
55.	धौलपुर	बसेड़ी
56.	धौलपुर	बाड़ी
57.	धौलपुर	धौलपुर
58.	धौलपुर	सैंपू
59.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
60.	डूंगरपुर	आसपुर
61.	डूंगरपुर	सागवाड़ा
62.	डूंगरपुर	सीमलवाड़ा
63.	डूंगरपुर	बिछीवाड़ा
64.	डूंगरपुर	साबला
65.	डूंगरपुर	गलियाकोट
66.	डूंगरपुर	चीखली
67.	डूंगरपुर	झौंथरी
68.	डूंगरपुर	डोबरा
69.	जयपुर	कोटपूतली
70.	जयपुर	सांगानेर
71.	जयपुर	झोटवाड़ा
72.	जयपुर	चाकसू
73.	जैसलमेर	सांकड़ा
74.	जालोर	सांचोर
75.	झालावाड़	खानपुर
76.	झालावाड़	झालरापाटन
77.	झालावाड़	बकानी
78.	झालावाड़	मनोहरथाना
79.	झालावाड़	पिड़ावा
80.	झालावाड़	अकलेरा
81.	झुन्झुनू	बुहाना
82.	जोधपुर	बालेसर
83.	जोधपुर	बाप
84.	जोधपुर	सेखला
85.	करोली	हिण्डौन
86.	करोली	नादौती
87.	करोली	सपोटरा
88.	करोली	टोड़ाभीम
89.	करोली	मण्डरायल
90.	कोटा	लाड़पुरा
91.	कोटा	सुल्तानपुर
92.	कोटा	इटावा
93.	कोटा	सांगोद
94.	कोटा	खैराबाद
95.	नागौर	मूण्डवा
96.	नागौर	कुचामन

97.	पाली	जैतारण
98.	पाली	पाली
99.	पाली	बाली
100.	पाली	रानी
101.	प्रतापगढ़	धरियावद
102.	प्रतापगढ़	पीपलखूंट
103.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
104.	प्रतापगढ़	अरनोद
105.	राजसमन्द	भीम
106.	राजसमन्द	देवगढ़
107.	राजसमन्द	कुम्भलगढ़
108.	राजसमन्द	राजसमन्द
109.	राजसमन्द	खमनौर
110.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
111.	सवाई माधोपुर	खण्डार
112.	सवाई माधोपुर	बामणवास
113.	सीकर	फतेहपुर
114.	सीकर	दातारामगढ़
115.	सीकर	नीम का थाना
116.	सिरोही	पिण्डवाड़ा
117.	सिरोही	आबूरोड़
118.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
119.	श्रीगंगानगर	करनपुर
120.	टोंक	उनियारा
121.	टोंक	निवाई
122.	टोंक	देवली
123.	उदयपुर	गोगुन्दा
124.	उदयपुर	भीण्डर
125.	उदयपुर	कोटड़ा
126.	उदयपुर	सलूम्बर
127.	उदयपुर	सराड़ा
128.	उदयपुर	झाड़ौल
129.	उदयपुर	खैरवाड़ा
130.	उदयपुर	ऋषभदेव
131.	उदयपुर	लसाड़िया
132.	उदयपुर	सायरा
133.	उदयपुर	फलासिया
134.	उदयपुर	झालरा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2011–12 जयपुर, दिनांक 19 AUG 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत मेट के नियोजन बाबत संशोधित निर्देश।**

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि नियोजित परिवारों को पूरी मजदूरी मिलें।

राज्य सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से यह स्पष्ट स्थिति सामने आई है कि श्रमिकों के द्वारा किए जा रहे कार्य का सही पर्यवेक्षण किया गया हो तो उनको पूर्ण नजदूरी प्राप्त हुई है। कार्य स्थल पर उचित पर्यवेक्षण के अभाव में अनियमितताएं होने की भी अधिक सम्भावनाऐं रहती है। अतः निर्माण कार्यस्थल पर सही पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये मेट को लगाया जाता है।

निर्माण कार्यों के संचालन में मेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों के प्रपत्र–6 में कार्य की मांग करने वाले सदस्यों को व्यवस्थित रूप से कार्य पर लगाने के लिये मस्टररोल का संधारण 5–5 श्रमिकों का समूह बनाना, 5 श्रमिकों के समूह को निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य का आवंटन तथा उनके द्वारा किये गये दैनिक कार्य का माप कर उन्हें सूचित करने का उत्तरदायित्व मेट का ही हैं। मेट द्वारा कार्य निष्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री का रिकार्ड रखना भी है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर बोर्ड, छाया, पानी, झूलें, आया, दवाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है।

इसलिये पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों के अतिक्रमण में नरेगा के अन्तर्गत मेट हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. मेट का चयन :–

मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में चार मेट जिसमें दो महिला एवं दो पुरूष हों, का पैनल विज्ञापन जारी कर ग्राम पंचायतवार प्रार्थना–पत्र कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कर बनाया जावे। पूर्व में नियोजित व प्रशिक्षित मेटों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी, अगर उनके खिलाफ कोई

4.2 प्रत्येक कार्य पर ग्राम पंचायतवार तैयार किये गये पैनल में से ही मेट का नियोजन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टररोल जारी करते समय ही किया जावेगा। नियोजित मेट के विरूद्व शिकायतें प्राप्त होने या कार्य असंतोषजनक होने के कारण कार्यक्रम अधिकारी बिना किसी नोटिस के मेट को हटा सकेगें तथा उसका पदस्थापन अगले एक वर्ष के लिये नहीं किया जावेगा।

4.3 पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जायेगा। महिला मेटों के संबन्ध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिवस से अधिक भी नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा संभव नियोजित नही किया जावे।

4.4 दस से कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट अलग से नियुक्त नहीं किया जावेगा। ऐसे कार्यों की निगरानी का कार्य कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

4.5 मेट के नियोजन में महिला प्रार्थी को प्राथमिकता देते हुए नियोजित किया जावे तथा नियोजित महिला मेट को आगामी पखवाडे में पैनल में स्थित दूसरी महिला मेट से ही यथा संभव परिवर्तित किया जावे।

5. प्रशिक्षण :–

चयनित मेटों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा। वे सुनिश्चित करेगें कि किसी भी अप्रशिक्षित मेट का नियोजन नही हो। चयनित मेटों को ब्लाक स्तर पर सघन प्रशिक्षण दिया जावे। मेटों का क्षमतावर्द्वन हेतु प्रत्येक तिमाही विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावे।

मेट के कर्तव्य, जिम्मेदारियां, कार्यस्थल पर व्यवस्था एवं कार्य की माप पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार रहेगीं।

भवदीय

13/8/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास/स्टेट मिशन डाइरेक्टर आजीविका
4. आयुक्त, ईजीएस।
5. मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण श्री .....।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/बाडमेर।
8. कार्यक्रम अधिकारी समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

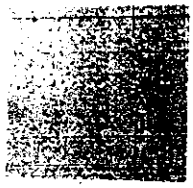

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

कमांक एफ 1(23) ग्रावि / नरेगा / मेट / 2011–12 जयपुर, दिनांक 19 AUG 2015

जिला कलक्टर एंव जिला कार्यकम समन्वयक, ईजीएस
जिला डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाडा, झालावाड, बांरा, टोंक, चूरू, चित्तौडगढ, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, कोटा।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत CFT ब्लॉक में कार्यो पर महिला मेट नियोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पंत्राक एफ–4 (16)ग्रावि / ग्रारो / नरेगा / 06 दिनांक 15.08.2009, 18.08.2009, 2.08.2009 दिनांक 30.09.2014 तथा एफ 1 (23)ग्रावि / नरेगा / मेट / 2011–12 दिनांक 15.05.2014 दिनांक 30.05.2014

विषयान्तर्गत मेट नियोजन के सम्बन्ध में विभाग के प्रांसगिक पत्रों के द्वारा निर्देश जारी किए गए है उक्त निर्देशों के कम में CFT ब्लॉक में मेट नियोजन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

- महिला मेटों की निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए पैनल बनाया जाकर प्रशिक्षण दिया जावे। महिला स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जावे।
- प्रशिक्षित महिला मेटों को ही (जहॉ तक सम्भव हो) कार्यो पर निम्न प्राथमिकता अनुसार नियोजित किया जावे।
  1. स्वंय सहायता समूह की महिला मेट
  2. अन्य श्रेणी की महिला मेट
- इन ब्लॉक में लगाए जा रहे महिला मेटों के लिए पखवाडे वार रोटेशन पर लगाए जाने की बाध्यता नहीं रखी जावे। यदि ग्राम में उपलब्ध महिला मेटों में से महिला स्वंय सहायता समूह की केवल एक ही मेट उपलब्ध है तो उसे निरन्तर काम पर रखा जावें एवं हटाया नहीं जावे। यदि महिला स्वंय सहायता समूह की दो मेट उपलब्ध है तो उन्हे आपस में रोटेशन के आधार पर नियोजित किया जावे।

CFT ब्लॉक्स में उक्तानुसार महिला मेटों का नियोजन कर, किए जा रहे टास्क इत्यादि की समीक्षा की जाकर, फीडबैक विभाग को दिया जावे।

18/8/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास
3. अति जिला कार्यकम समन्वयक, ईजीएस डूंगकपुर, बांसवाडा, उदयपुर, राजसंमद, भीलवाडा, झालावाड, बांरा, टोंक, चूरू, चित्तौडगढ, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, कोटा।
4. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस डूंगकपुर, बांसवाडा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाडा, झालावाड, बांरा, टोंक, चूरू, चित्तौडगढ, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, कोटा।

परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस